राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/डीएलबी/18/40615 जयपुर, दिनांक: 25/2/20

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने की लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर–ग्रेटर सीमा में स्थित पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन जयपुर की रिक्त भूमि को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 उप–धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय नगरीय विकास कर के भुगतान से (इस भूमि का पूर्व से बकाया नगरीय विकास कर की डिमान्ड सहित) निम्नांकित शर्तो के साथ छूट प्रदान करती है:–

1. यदि पुष्पा जयपुरिया फाउन्डेशन द्वारा उक्त भूमि विकय की जाती है (न.वि.वि. के आदेश दिनांक 01.12.57 के परिपेक्ष्य में) तो उक्त भूमि के केता को उपयोग अनुसार नगर निगम का नगरीय विकास कर देना होगा, तथा
2. पुष्पा जयपुरिया फाउन्डेशन द्वारा रिक्त भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो, उपयोग अनुसार नगरीय विकास कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

25/2/20

(उज्जवल राठौड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/40616–40623 दिनांक: 25/2/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. प्राधिकारी नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर, जयपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. नोडल अधिकारी मॉनेटरीग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन, जयपुरिया विद्यालय के पास, इन्द्रा नगर, जयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB WORK 2017-18\Office Work 2017-18\Qayam\5.Adhisuchna.doc

Scanned with CamScanner